न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या :–542/2017

1. बनवारी लाल पुत्र दल्ला, जाति अहीर, निवासी ग्राम कुम्भा का बास, आलीसर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर

अपीलान्ट/प्रतिवादी

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र सुवालाल
2. बजरंग लाल पुत्र सुवालाल

   समस्त जातियान अहीर, निदम्का का बास, आलीसर, तहसील चौंमू, जिला जयपुर।
3. उप–पंजीयक चौंमू जिला जयपुर।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चौंमू जिला जयपुर।

रेस्पोडेंन्टस

उपस्थित अधिवक्तागणः–

1– श्री बंशीधर जाट अपीलार्थी की ओर से।

2– श्री संजय शर्मा रेस्पोडेंटस की ओर से।

:– निर्णय :– दिनांक :– 05–03–2018

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2017 मुं सं. 28/17 बउनवानी रामस्वरूप बनाम बनवारी लाल द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौंमू, जिला जयपुर प्रस्तुत की गई है।

2–प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 व 2 वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि ग्राम आलीसर खसरा नम्बर 772,772/1342, 817/1457,818,818/1343 कुल किता 05 कुल रकबा 1.57 हैक्टेयर के संबंध में एक दावा बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा कथन किया गया कि उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 1 अपीलान्ट की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है तथा उसका बाई मीटस एण्ड बाउण्डस विभाजन किया जाने का अनुतोष चाहा गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 1/6/2017 पारित की गई जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपीलान्टस द्वारा अपील में आधार लिये गये है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर नहीं किया गया है। अपीलान्ट का मौके पर स्वयं के हिस्से से अधिकार पर कब्जा है जो कि पूर्व खातेदारों के द्वारा मनबंट में दिया गया था। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 भूमि के अजनबी केता है तथा उनके पास रिकार्ड दर्ज भूमि से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

कम रकबे में कब्जा है। उक्त तथ्यों का निर्णय तनकी कायम कर किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा प्राथमिक डिक्री के संबंध में कोई सहमति नहीं ली गई है। वाद–पत्र में कब्जे के अनुसार तकासमा किये जाने बाबत निवेदन किया गया है जो राजीनामा प्रस्तुत करवाकर अंतिम डिक्री किया जा सकता था जिसमें कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाने की आवश्यकता नहीं थी। उक्त आधारों पर अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 1/6/2017 को निरस्त किये जाने का अनुतोष चाहा गया।

4–अपील दर्ज रजिस्टर की गई।रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त की जाकर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5– अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि साक्ष्य व जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा अपीलान्ट द्वारा सहमति का कोई प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिये अपील स्वीकार फरमाई जावे।

6–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया है कि विधिवत सूचित किया जाकर प्रकरण लोक अदालत में रखा गया है तथा अपीलान्ट कैम्प में उपस्थित हुऐ है। अपीलान्टस द्वारा सहमति प्रदान किये जाने के उपरान्त प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है तथा अपील खारिज फरमाई जावे।

7– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तजावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादी सख्या 1 की संयुक्त खातेदारी में होना कथन कर भूमि का विधिवत तकासमा किये जाने बाबत अनुतोष चाहा गया है।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली न्याय आपके द्वार कैम्प कोर्ट आलीसर में रखी गई है। उक्त दिवस दिनांक 1/6/2017 की आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी बनवारी कैम्प में उपस्थित हुऐ है तथा उनकी तरफ से वकालत नामा भी प्रस्तुत किया गया है। आदेशिका में उल्लेख है कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने बाई मीटस एण्ड बाउण्डस तकासमा करवाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की है। न्यायालय द्वारा खातेदारान द्वारा सहमति प्रदान किये जाने के उपरान्त भूमि के मीटस एण्ड बाउण्डस के आधार पर तथा सभी खातेदारों को रास्ते की सुविधा उपलब्ध करवाते हुए तकासमा कर कुर्रेजात रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के आशय की प्रारम्भिक डिक्री व निर्णय पारित किया गया है। आदेशिका पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर मौजूद है।ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कथन कि उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा उनके द्वारा सहमति प्रदान नहीं की गई है माने जाने योग्य नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भूमि के विभाजन हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है तथा अपीलान्ट के समक्ष कुर्रेजात प्रस्तावों पर अपनी आपत्ति प्रस्तुत किये जाने का अवसर मौजूद है तथा अपीलान्ट द्वारा अपनी अपील में भूमि के खातेदारी हिस्सों संबंधी

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

कोई आपत्ति नहीं ली गई है ऐसे में प्रस्तुत अपील मात्र प्रकरण को देरी किये जाने की गरज से प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है।अपील में लिये गये आधारों में कोई विधिक बल निहित नही है।उपर्युक्त विवेचन से अपील अस्वीकार योग्य पाई जाती है।

8— अतः अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 01/06/2017 यथावत रखे जाते है।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

9— निर्णय आज दिनांक 05—03—2018 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी

जयपुर